न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-षष्टम् , सुपौल

सत्रवाद संख्या- 220/2019

(जदिया थाना काण्ड संख्या- 38/1998, धारा- 396 भा०द०वि०)

राज्य

बनाम्

सुर्य नारायण यादव

क्र०सं०	कार्यवाही के आदेश की तिथी	न्यायालय के हस्ताक्षर के साथ आदेश	दिनांक के साथ कार्यालय में कार्यवाही
1	2	3	4
	20.05.2020	काराधीन अभियुक्त सुर्य नारायण यादव की ओर से दखिल जमानत आवेदन दिनांक 25.10.2019 पर सुनवाई हेतू अभिलेख उपस्थापित किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री नंद किशोर यादव Video Conferencing के द्वारा जमानत आवेदन को प्रचालित किये। जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री नंद किशोर यादव निवेदन करते है कि प्रार्थी आवेदक पुर्व में न्यायालय द्वारा जमानत पर थे और दिनाक 14.02.2003 को उचित पैरवी नही रहने के कारण अभियुक्त का बंध-पत्र रद्द किया गया था। प्रार्थी अभियुक्त दिनाक 08.07.2019 से कारा में हैं तथा प्रार्थी अभियुक्त श्रीमान के आदेशानुसार सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं तथा वादा करता है कि जमानत का दुरुपयोग नही करेगा। अत: प्रार्थना है कि कोविड-19 की महामारी से उत्प्पन परिस्थिति पर विचार करते हुए उचित जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय। अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, जमानत का विरोध करते हैं। जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी अभियुक्त प्रथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा पुर्व मे न्यायालय द्वारा जमानत पर था किन्तु दिनांक 14.02.2003 को उचित पैरवी नही रहने के करण जमानत बंध्-पत्र रद्द किया गया है तथा प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 08.07.2019 से कारा मे है। अत: उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त का जमानत 10,000/- के दो जमानतदारो के साथ बंध-पत्र दाखिल करने	

पाठक अलोक कौशिक

अपर सत्र न्यायाधीश-षष्टम् , सुपौल

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-षष्टम् , सुपौल

सत्रवाद संख्या- 220/2019

(जदिया थाना काण्ड संख्या- 38/1998, धारा- 396 भा०द०वि०)

राज्य

बनाम्

सुर्य नारायण यादव

पर इस शर्त के साथ मुक्त किया जाता है कि अभियुक्त प्रत्येक तिथी को न्यायालय में उचित पैरवी करेंगें तथा दिनाक 31.07.2020 के बाद लगातार तीन तिथियो तक अनुपस्थित रहने पर न्यायालय बंध–पत्र रद्द करने के लिये स्वतंत्र होगे और न्यायालय आदेश पर न्यायालय में सदेंह उपस्थित रहेगे और वाद के त्वरित निस्तारण में सहयोग करेगे । दोनो जमानतदार इस न्यायामंडल के क्षेत्राधिकार के होगे । कोरोना महामारी के कारण विद्वान अधिवक्ता शपथ पत्र कालांतर में दे सकते हैं।

लेखापित

पाठक अलोक कौशिक

अपर सत्र न्यायाधीश-षष्टम् , सुपौल

लगातार

20.05.2020

उपरोक्त आदेशानुसार बंदी अभियुक्त की ओर से जमानत बंध-पत्र दाखिल किया गया, जिसे जाँचोपंरात सही पाकर ---------- किया जाता हैं। कार्यालय मुक्ति आदेश निर्गत करे।

लेखापित

पाठक अलोक कौशिक

अपर सत्र न्यायाधीश-षष्टम् , सुपौल

पाठक अलोक कौशिक

अपर सत्र न्यायाधीश-षष्टम् , सुपौल